भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1367

गुरूवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)

रोजगार विनिमय प्रणाली

1367. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम**,** 1959 के अंतर्गत अनिवार्य रोजगार विनिमय प्रणाली का सिक्किम में प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो रहा है**;**

(ख) क्या सरकार को वहां के कार्यालयों के गैर-कार्यशील या अपर्याप्त संचालन के संबंध में कोई रिपोर्ट या अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है**;**

(ग) मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सिक्किम सहित सभी राज्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नियोक्ताओं द्वारा रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना का अनुपालन करें**;** और

(घ) क्या मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित कार्यालयों के संचालन और आधुनिकीकरण के लिए किसी विशेष निगरानी तंत्र का प्रस्ताव रखता है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): 'रोजगार' समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम, 1959 को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सीधे प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण में काम करते हैं।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम, 1959 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल कर लिया गया है, जो 21.11.2025 को लागू हुआ है।

सरकार, राष्ट्रीय रोजगार सेवा को एक वन-स्टॉप समाधान में बदलने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) प्रोजेक्ट लागू कर रही है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

*****